पत्र संख्या–14/डी0एल0ए0 (एन0पी0जी0सी0) औरंगाबाद– 126/13 –1989/270 पटना, दिनांक–13-08-13

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
बिहार , पटना

अधिघोषणा

तारीख.../.../2012

सं0..आर0

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव– सदूरी थाना.– **188**, परगना–सीरिस थाना– **बारूण** जिला– औरंगाबाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए, इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव– सदूरी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कम वेश, जो 3.8399 एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं0 एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

अधिकृत खेसरा सं0 –

पूर्ण – 162, 179,

अंश – 127, 181

उतर :– 109, 111, 161, 158, 180, 155, 184

पूरब :– 132, 173, 180, 183, 184

दक्षिण :– 172, 165, 180 बांध

पश्चिम :– 125, 128, 178, 180, 155 बांध

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यक्ता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना , हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिए जायेंगे यह घोषणा अधिनियम 1894 की धारा 6 और अधिनियम 1894 की धारा 3 के खंड (1) के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

9/5
समाहर्त्ता
औरंगाबाद

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0—
सरकार के अवर सचिव।

"सरकारी सेवा जनसेवा का माध्यम है। धर्म, ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें"।

ज्ञाप सं0 – 14/डी0एल0ए0 (एन0पी0जी0सी0) औरंगाबाद– 126/13 – 1989/रा 2 पटना, दिनांक–13-08-13

प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां में सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, औरंगाबाद को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय, औरंगाबाद को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता, /जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0टी0, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/8/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।